


तारीख
हुकम

अहकाम जो
इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

26/08/2020

राजस्व वाद संख्या 22/2009 अनवान श्री किशन बनाम मांगीलाल
वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188, 88 आरटीएक्ट।

वकुलाय उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
उपरोक्त वाद को विद्धो करने का निवेदन किया, साथ ही राजस्व मण्डल में
राजीनामा बाबत् प्रार्थना पत्र और आदेशिका की प्रतिलिपि एवं वादीनी
जडाव देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं इनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा
दिनांक 12.05.2010 भी प्रस्तुत किया हैं। जिसके अनुसार वादीनी जडाव
देवी की तरफ से न्यायालय में सभी आवश्यक कार्य करने के अधिकार
निष्पादित किये गये। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इस कारण
वादी यह वाद नहीं चलाना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में जरिये विद्धो खारिज
किया जावें। सुना गया चूकि वादी अपने वाद की कार्यवाही को नहीं
चलाना चाहता हैं ऐसी स्थिति में वाद को विद्धो किये जाने में कोई आपत्ति
नहीं है। अतः वादी का वाद जरिये विद्धो खारिज किया जाता हैं। आदेश
सुनाया गया। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी